संख्याः— /उन्तीस/04–2(56पे0)/2004

प्रेषक,

कुँवर सिंह
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराचल पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग देहरादनः दिनांकः मार्च, 2005

विषय जनपद पौड़ी के अन्तर्गत पाबो ग्राम समूह (पुनर्गठन) पेयजल योजना की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति (न्यूनतम आवश्यकता कार्यकम)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्राक 620//अप्रेजल–पौड़ी/ दिर्नाक–03.12.2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पौड़ी के अन्तर्गत पाबो ग्राम समूह (पुनर्गठन) पेयजल योजना अनु0लागत रू0 243.79 लाख के प्राक्कलन का परीक्षणोपरान्त टी0ए0सी0 द्धारा औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि **रू0 226.20 लाख (रू0 दो करोड़ छब्बीस लाख बीस हजार मात्र)** की लागत के आगणन पर श्री राज्यपाल प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है । उक्त योजना हेतु शासनादेश संख्या 2687/नौ–2(49पे0)/2003, दिनांक 04.12.2003, द्वारा रू0 12.00 लाख, शासनादेश संख्या 925/उन्तीस/04–2(49पे0)/2004, दिनांक 27.04.2004 एंव 2521/नौ–2(49पे0)/2003, दिनांक 17.12.2004 द्वारा रू0 35.88 लाख, इस प्रकार कुल 47.88 लाख (रू0 सैतांलीस लाख अट्ठासी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। अतः उक्त प्रशासकीय स्वीकृति के विपरित भविष्य में अवशेष रू0 178.32 लाख की धनराशि ही निर्गत की जायेगी :–

(1) आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्धारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों का जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति पर निमानुसार अधीक्षण अभिन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

कमशः..2..

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

(4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एंव लोक निमार्ण विभाग/उत्तराचंल पेयजल निगम द्वारा प्रचलित दरों/ विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(7) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए ।

(8) निमार्ण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय. तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

(9) निर्माण कार्यो हेतु सेन्टेंज चार्जेज वर्तमान में प्रचलित दरों के अनुसार लिया जायेगा जो कि किसी भी दशा में 12.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा यदि इससे अधिक सेन्टेज चार्जेज लिया जाता है तो यह वित्तीय अनियमित्ता होगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(10) योजना के कार्य स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण कराये जायें तथा किसी भी दशा में पुनरीक्षित लागत मान्य नहीं होंगी। कार्यो की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(9) व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका एंव मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा ।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 581/वित्त अनु0–3/2004 दिनांक 01.03.2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

कमश..3.

संख्या–231 (1)/उन्तीस/04–2(56पे0) 2004, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार, उत्तराचंल देहरादून ।
2 अधिशासी अभियन्ता ,उत्तराचंल पेयजल निगम,प्रकल्प शाखा, श्रीनगर(पौड़ी गढ़वाल) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित अवर अभियन्ता /सहायक अभियन्ता को शासन में भेजकर आगणन में की गयी कटोतियों को नोट करने हेतु निर्देशित करें
3 मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल ।
4 जिलाधिकारी, पौड़ी ।
5 मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराचंल जल संस्थान,देहरादून ।
6 निजी सचिव मा0 मुख्य मंत्री/पेयजल मंत्री ।
7 वित्त अनुभाग–3/ नियोजन प्रकोष्ट ।
8 निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव